<u>प्रेस नोट दिनांक– 16.10.2020</u>

<u>इटावा पुलिस द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के अधिकारी बनकर पुलिस अधिकारी तथा अन्य लोगों को धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।</u>

<u>अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना बकेवर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के फर्जी अधिकारी बनकर पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोगों को धमकाने तथा गाली गलौच करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।</u>

<u>संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 14.10.2020 वादी श्री सतेन्द्र कुमार दोहरे द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि उसकी प्रतियोगी परीक्षा एवं स्टेशनरी की दुकान है जिसमें राघव अग्रवाल तथा राजीव अग्रवाल जो एस0आर0आर पब्लिकेशन की किताबों के विक्रेता है। जिनके साथ वादी प्रतियोगी किताबों का लेने देन रहता है तथा समय समय पर हिसाब किया जाता है। कोविड–19 महामारी के पहले ली गयी जिसमें से कुछ किताबें समय अधिक हो जाने के कारण एक्सपायर हो गयी है उनका पेमेन्ट बकाया चल रहा है जिसके लिये वादी द्वारा उन किताबों को वापस करने के लिये कहा गया तथा तो राघव अग्रवाल द्वारा उसके विरूद्व मा0 मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें वादी को ''इटावा का विकास दुबे'' बताकर बदनाम किया जा रहा है। वादी द्वारा ऐसा करने से मना करने पर राघव तथा राजीव द्वारा उसको फोन करके जान से मारने की घमकी दी जा रही है तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए वादी से 01 लाख रूपये की रंगदारी मांगते हुए वादी तथा उसके परिवार को जाने से मारने की धमकी दी जा रही है तथा पुलिस के सम्बन्ध में वार्ता करने पर राघव तथा राजीव द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरूद्व भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 532/20 धारा 384,504,506 भादवि, 3(1)द एवं ध एसीएसटी अधिनियम व 66ई आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 14.10.2020 को थाना बकेवर पर तैनात उपनिरीक्षक श्री सुबोध सहाय द्वारा थाना बकेवर पर तहरीर दी गयी उनके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल से प्राप्त हुई प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पक्ष तथा प्रतिपक्ष की वार्ता की गयी तो वादी पक्ष के राघव अग्रवाल तथा राजीव अग्रवाल नाम के 02 व्यक्तियों द्वारा गाली गलौच कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तथा इसके उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के अधिकारी उ0नि0 सुबोध सहाय तथा पुलिस विभाग के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए

टिप्पणी की गयी, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वादी उ0नि0 श्री सुबोध सहाय की तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 533/20 धारा 353,504,506 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त के क्रम में वादी प्रदीप चौरसिया द्वारा भी थाना जसवन्तनगर पर तहरीर दी गयी कि राघव तथा राजीव नाम के व्यक्ति द्वारा उसके विरूद्व भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर " इटावा का विकास दुबे" कहकर बदनाम किया जा रहा है तथा फोन करके जाने से मारने की धकमी दी जा रही है जिसके सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 441/20 धारा 386,504,506 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध त्वरित कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा एसओजी टीम इटावा व थाना बकेवर से पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा विभिन्न साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए आज दिनांक 16.10.2020 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस पूछताछ–पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के व्यापार का काम करता है तथा किताबें एक्सपायर हो जाने पर उन्हे बदलना न पडें तथा अपने बकाया पेमेन्ट को लेने के लिये दुकानदारों पर दबाव बनाने के लिये मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल से दुकानदारों के विरूद्व प्रार्थना पत्र देता था तथा उस प्रार्थना पत्र की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने के लिये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल का अधिकारी बनकर दबाव बनाया जाता था।

पुलिस टीम– प्रथम टीम– श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी इटावा, श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम।

द्वितीय टीम–श्री अंजन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर मय पुलिस टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।